भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4205
(दिनांक 13.12.2019 को उत्तर देने के लिए)

मीडिया पर नियंत्रण

4205. श्री जयदेव गल्लाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने मीडिया पर पाबंदी/नियंत्रण करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूचना और जन संपर्क मंत्री ने इस मुद्दे को स्वीकृति हेतु राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा है ताकि मंत्रालय मीडिया घरानों/मीडिया/प्रकाशनों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे संविधान के अंतर्गत प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवहेलना होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दिनांक 20.02.2007 के आदेश जी.ओ.आरटी सं. 938 के जरिए इसने विशेष आयुक्त, सूचना और जन संपर्क को मिथ्या, आधारहीन और मानहानिकारक स्वरूप के विषयों को प्रकाशित करने/उनका प्रसारण करने वाले प्रकाशकों और संपादकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने और मानहानि का केस दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दी है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 30.10.2019 के जी.ओ.आरटी सं. 2430 के आदेश के जरिए आगे उपरोक्त मामले में जवाबी कार्रवाई करने, शिकायत दर्ज करने और उचित मामला दर्ज करने के लिए संबंधित विभागों के सचिवों को अधिकार देने हेतु भी अनुमति प्रदान की है।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और 01.11.2019 को आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

****